न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रीमती थावरी पत्नि अणदा जाति ग्रासिया निवासी उपलागढ		1. श्रीमति दीती पत्नि पुना जाति ग्रासिया निवासी मूंगथला 2. सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 81/2013

दिनांकः-06-02-2020

निर्णय

यह कि वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा उपलागढ तहसील आबूरोड के खसरा नंबर 997, 1007, 1008, 1443 किता चार कुल रकबा 06 बीघा 06 विस्वा की कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि रेवेन्यु रेकर्ड मे वादीया एवं प्रतिवादीया के नाम दर्ज थी उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर ककब्जा वादीया का गत 30 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा हे वादीया ने अपना आधा हक हिस्सा अमरा राम पुत्र देवाजी एवं मीता पुत्र दलाजी को दिनांक 20.12. 2012 को विक्रय कर दिया है एवं आधे हिस्से पर वादीया काबिज है। उक्त कृषि भूमि वादीया के अकेले के स्वामित्व की कृषि भूमि है जिस पर वादीया पिछले 30 वर्षो से लगातार काश्त करती आ रही है । प्रतिवादीया श्रीमति दीती का विवाह होने के पश्चात वह अपने ससुराल मुंगथला चली गई जहॉ वह 30–35 वर्षो से लगातार मुंगथला मे रहकर अपने पति के हक हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त करती है। उपलागढ स्थित कृषि भूमि पर प्रतिवादीया श्रीमति दीती ने कभी भी काश्त नही की है। प्रतिवादीया एवं वादीया अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है। जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। अणदाजी की मृत्यु पश्चात प्रतिवादीया का कोई हक हिस्सा उक्त भूमि मे नही है। प्रतिवादीया ने गलत नाम दर्ज करवाया है। इस कारण वादीया , प्रतिवादीया के नाम दर्ज आधे हिस्से की खातेदारी की घोषणा वादीया के नाम करवाने हेतु वाद पेश किया है। उक्त भूमि पर वादीया का कदीम कब्जा काश्त है। वादीया एडवर्स पजेशन के आधार पर भी एडमिटेड खाते कृषक बन चुकी है।

हमने प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जो बाद तामिल प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये। प्रतिवार्दीगण का जवाब प्रस्तुत।

प्रतिवादी संख्या एक द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन कियां कि श्रीमति दीती की जन्मदात्री माता श्रीमती रतनी का श्रीमती दीती के जन्म के कुछ समय बाद ही देहान्त हो जाने से पिता स्व0 श्री अणदाजी ने दीती के पालन पोषण एवं स्वंय के अकेलेपन को दूर करने के लिए श्रीमती थावरी ने नातरे विवाह से अपने घर में रखा था एवं श्रीमती दीती ने श्रीमती थावरी के साथ माता–पुत्री की तरह रिश्ता निभाया, इस कारण श्रीमती दीती चाहती थी कि यह रिश्ता बरकरार बना रहे, इस कारण दीती ने श्रीमती थावरी को

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

-2

Scanned by CamScanner

मानवता के कारण अपने साथ बतौर माता रखा एवं उसका भरण पोषण करती थी। मगर श्रीमती थावरी के दिलो दिमाग में खोट पैदा हो गई वह भूमि तस्कर के बहकावे में आ गई और उक्त भूमि विक्रय करने पर उतारू हो गई, इस कारण श्रीमती दीती को मूल राजस्व वाद संख्या 04/2012 श्रीमती दीती बनाम श्रीमती थावरी पेश करना पडा लेकिन श्रीमती थावरी ने वाद प्रस्तुती के बाद भी भूमि का आधा हिस्सा श्री अमरा एवं मीता को विक्रय किया, जिन्होंने न्यायालय में वाद विचाराधीन होना जानते हुए कि भूमि क्रय की है जो विक्रय एब–इनिशियो वोइड है। जिसे प्रतिवादिया श्रीमती दीती अवैध शून्य घोषित करवाने की अधिकारी है।

वादिया थावरी के बयानो की जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई कि अणदा की पहली पत्नी का नाम रतनी था। मैं रतनी के मरने के बाद अणदा की औरत बनी। मैं अणदा के नातरे आई थी। मेरे कोई बच्चे नहीं हुए। यह कहना सही है कि मैं अणदा के नातरे आई इसी वजह से जमीन के कब्जे में हूँ दीती अणदा की पहली पत्नी रतना की लड़की है।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया।

यहाँ मुख्य रूप से यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि किसी व्यक्ति की पूर्व पत्नी की एममात्र संतान तथा दूसरी पत्नी अथवा नातरे से आई स्त्री के बीच पैतृक कृषि भूमि का बँटवारा किस प्रकार होगा ? क्यूँ की दीती को स्वंय वादी ने अपने बयानों में अणदा की प्रथम पत्नी की संतान स्वीकार किया है, तथा स्वंय को नातरे आई हुई स्त्री स्वीकार किया है, जो निर्विवाद है। प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई :–

1. आया विवादित खसरा नम्बर 997, 1007, 1008, 1443 रकबा 6.06 बीघा की खातेदारी घोषण की डिक्री–जिम्मे–वादिया

तनकी संख्या 1 दीति व थावरी दोनों रिकोर्डेड खातेदार है। **Ram Sahai V/S Doonagar Singh 1941 RD 892, Saidan V/S Abdul Rehman Khan, 1942 RD 512** में यह स्पष्ट है कि सह खातेदारी में एक खातेदार का कब्जा सब खातेदारों का कब्जा माना जाएगा। जहाँ तक प्रतिवादी द्वारा वादी के विधिवत पत्नी माने का प्रश्त है, उसमें हिन्दु विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत व प्रचलित लोक रिवाजों के आधार पर पत्नी की मृत्यु होने पर ग्रासिया जनजाति में नातरे के द्वारा विवाह सम्पन्न होना आम बात है। **[2012 (2) DNJ (Raj.) 796] RAJASTHAN HIGH COURT [S.B. Civil Misc. Appeal No 242 of 2006; decided on 16.04.2012] Vishnu Prasad Sharma Versus Smt. Durga Bai** प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रूलींग हमारे विनम्र मत मे यहां लागू नहीं होती है। वादी अधिवक्ता द्वारा रूलींग **Rajasthan High Court (Jaipur Bench) (S.B. Civil Second Appeal Nos. 137-142 of 2013; decided on 07-04-2014) Bhooli Versus Chanda & Ors** एवं **Rajasthan High Court (Jaipur Bench) S.B. Civil Writ Petition No. 4363/1997-Decided on 01-02-2006) Gulab Versus Board of Revenue & Ors.** पेश की। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रूलींग हमारे विनम्र मत मे यहां लागू नहीं होती है। लेकिन उसी आधार पर पहली पत्नी की एकमात्र संतान को लोक रिवाजों के आधार पर अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः हमारे विनम्र मत में राजस्व रिकोर्ड में दीति (जो पहली पत्नी की एकमात्र संतान है) तथा थावरी (जो नातरे से आई दूसरी पत्नी है) का नाम, राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा अनुसार सही दर्ज था, तथा अपने हिस्से में से बेचान उपरान्त थावरी का हिस्सा व हक वर्तमान में सही दर्ज है। अतः तनकी संख्या एक आंशिक स्वीकार कर वर्तमान में दर्ज रिकोर्ड अनुसार थावरी को मौजा उपलागढ खसरा नम्बर 997, 1007, 1008, 1443 में 1/6 का व दीति को 997, 1007, 1008, 1443 मौजा उपलागढ में 1/2 हिस्से का हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

Scanned by CamScanner

1. आया प्रतिवादी ने कभी काश्त नहीं की है किन्तु खातेदार होने से अपने हिस्से की अधिकारी होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी की घोषणा की डिक्री– जिम्मे–वादिया

तनकी 2) उपरोक्त अनुसार वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

1. आया वादिया सौतेली माता होने से खाते में गलत नाम अंकित हुआ है। – जिम्मे–प्रतिवादी 01

तनकी 3) उपरोक्त अनुसार प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

1. आया वादिया द्वारा अमराराम को एवं मीता को गलत भूमि कां बेचान किया है। जिम्मे–प्रतिवादी 01

तनकी 4) उपरोक्त अनुसार प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकियात के निर्णय अनुसार वादीया का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में दर्ज रिकोर्ड अनुसार थावरी को खसरा नम्बर 997, 1007, 1008, 1443 मौजा उपलागढ में 1/6 का व दीति को 997, 1007, 1008, 1443 मौजा उपलागढ में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में दर्ज रिकोर्ड अनुसार थावरी को खसरा नम्बर 997, 1007, 1008, 1443 मौजा उपलागढ में 1/6 का व दीति को 997, 1007, 1008, 1443 मौजा उपलागढ में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06/2/2020 को से इजलास सुनाया गया।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर आबूपर्वत

Scanned by CamScanner

डिक्री

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर मुकाम आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रीमती थावरी पत्नि अणदा जाति ग्रासिया निवासी उपलागढ		1. श्रीमति दीती पत्नि पुना जाति ग्रासिया निवासी मूंगथला 2. सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 81/2013

दिनांकः– – –2020

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जितेन्द्र सुराणा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई प्रतिवादी गोविन्द प्रसाद राखेचा मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में दर्ज रिकोर्ड अनुसार थावरी को खसरा नम्बर 997, 1007, 1008, 1443 मौजा उपलागढ में 1/6 का व दीति को 997, 1007, 1008, 1443 मौजा उपलागढ में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे———×————मुतलिक————×————बाबत् खर्चा इन मुकदमे के मय सूद वगैरह————×————फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक————×————को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 06-02-20 को जारी की गई है।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर आबूपर्वत

सहायक कलेक्टर
आबू-पर्वत

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Ravindra Goswami
Date: 2020.02.10 11:59:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: